न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –91/2018

जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2018/129

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मांगूराम पुत्र प्रहलादराम जाति–जाट,निवासी–मोकलपुर तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर		1. आसुराम पुत्र मोतीराम जाति माली 2. छोटूराम पुत्र गोतीराम जाति माली 3. घेवरराम पुत्र मोतीराम जाति माली 4. ओमाराम पुत्र मोतीराम जाति माली निवासीगण मालियों की ढाणी मोकलपुर तहसील मेड़तासिटी। 5. कमली पुत्री मोतीराम पत्नि रामचन्द्र माली निवासी मेड़तासिटी 6. चुका पुत्री मोतीराम पत्नि सोहनलाल माली निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 7. संतोष पुत्री मोतीराम पत्नि सुखराम माली निवासी कौसाणा तहसील पीपाड़सिटी जिला जोधपुर 8. धर्माराम पुत्र भंवरूराम जाति माली 9. रामाराम पुत्र भंवरूराम जाति माली 10. घासीराम पुत्र भंवरूराम जाति माली निवासीगण कुचेरा तहसील मूण्डवा जिला नागौर 11. बक्षाराम पुत्र भोलाराम जाति माली के कायम मुकामान :– 11/1. भीकाराम पुत्र स्व. बक्षाराम जाति माली 11/2. मदाराम पुत्र स्व. बक्षाराम जाति माली 11/3. हरीराम पुत्र स्व. बक्षाराम जाति माली 11/4. मंजू पत्नी स्व. देवकरण जाति माली 11/5.श्यामाराम पुत्र स्व. देवकरण जाति माली .निवासीगण मोकलपुर तहसील मेड़ता जिला नागौर 11/6. कमली पुत्री स्व. देवकरण पत्नी ओमजी जाति मालीनिवासी मेड़ता तहसील मेड़ता जिला नागौर 12. पाबुराम पुत्र भोलाराम जाति माली निवासी मालियों का मौहल्ला जैतारण चौकी, मेड़तासिटी 13. हाथीराम पुत्र जगनाथ जाति माली 14. निम्बाराम पुत्र जगनाथ जाति माली 15. सुवाराम पुत्र जगनाथ जाति माली 16. रामस्वरूप पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासीगण मोकलपुर तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर 17. तहसीलदार ,मेड़ता

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश गौड़ उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 4, 13 से 16 की ओर से वकील श्री भवंरलाल चौधरी उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या–17 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांक :–23.08.2023

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वाके ग्राम मोकलपुर का म्यूटेशन संख्या 1809 जो तहसीलदार मेडता द्वारा दिनांक 06.06.2016 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 17.08.2018 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–5 से 12 ने बावजूद सूचना के हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

प्रार्थी/अपीलान्ट के मियाद प्रार्थना–पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना नोटिस दिए एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है,जबकि नामान्तरकरण जैर अपील में वर्णित विवादित भूमि अपीलांट की खरीदशुदा कब्जाशुदा भूमि है। इस भूमि के संबंध में पूर्व में सिविल न्यायालयों में वाद व अपील विचाराधीन रहने के कारण अपीलांट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हो सका किन्तु इस दरमियान रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ने बिना हक अधिकार के अपीलांट को विक्रय की गई भूमि को पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को विक्रय कर दी। जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी एवं उक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो. सं. 13 ने अपने नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया। सिविल न्यायालय से वाद व अपील के निस्तारण के पश्चात् जब अपीलांट ने अपनी खरीद शुदा भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवाने हेतु दिनांक 05.04.2018 को आवेदन पेश किया एवं तत्पश्चात् जब नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु कागजात हल्का पटवारी के पास लेकर गये तब हल्का पटवारी से दिनांक 26.7.2018 को नामान्तरकरण जैर अपील की प्रथम बार जानकारी हुई। चूंकि नामान्तरकरण जैर अपील अवैध व विधि विरूद्ध ढंग से स्वीकृत किया गया है इस कारण मियाद के प्रावधान लागू नहीं होते हैं फिर भी देरी को माफ करने हेतु उक्त आवेदन पेश किया गया है, का कथन करते हुए न्याय हित में आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाने का निवेदन किया है।

वकील श्री भंवरलाल चौधरी ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण जैर अपील नियमानुसार स्वीकार किया है, जिसकी अपीलान्ट को शुरु से ही जानकारी रही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए प्रार्थी/अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विश्वास किया जाकर न्याय हित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत इस अपील की गुणावगुण के आधार पर मेरिट पर सुनवाई किया जाना उचित होने से प्रार्थी/अपीलांट का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट को अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम मोकलपुर तहसील मेड़ता सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 517 रकबा 13.8 बीघा के 1/2 भाग में से 1/4 भाग अपीलांट मांगूराम ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.7.2003 के खातेदार बक्षाराम पुत्र भोलाराम से खरीद कर खरीदशुदा भाग पर कब्जा प्राप्त कर लिया था किन्तु तत्पश्चात् उक्त खेताय के सह खातेदार हाथीराम द्वारा अपीलान्ट व अन्य खातेदारान के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश मेड़ता के समक्ष वाद दायर कर देने से अपीलान्ट के नाम

कलक्टर नागौर

उक्त खरीद किये गये भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हो सका। उक्त वाद संख्या 68/2004 का निर्णय सिविल न्यायाधीश मेड़ता द्वारा दिनांक 19.7.2010 को किया गया जिसकी अपील अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,मेड़ता के समक्ष पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 26.7.2016 को होकर अपीलांट हाथीराम की अपील खारिज की गई। किन्तु इस दरमियान बक्षाराम पुत्र भोलाराम जिसने अपने हिस्से की भूमि वर्ष 2003 में अपीलांट मांगूराम को विक्रय कर दी थी, ने उसी भूमि को पुनः हाथीराम पुत्र जगनाथ माली को दिनांक 20.5.2016 को जरिए रजिस्टर्ड बेचान के विक्रय कर दी एवं उक्त बेचान के आधार पर तहसीलदार जी मेड़ता ने दिनांक 06.06.2016 को क्रेता हाथीराम के नाम से नामान्तकरण जैर अपील संख्या 1809 स्वीकृत कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.6.2016 पूर्णतया अवैध, विधि विरूद्ध एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐ पारित किया गया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किए बिना आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि विवादित खेत खसरा नंबर 517 रकबा 13.8 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नं. 2194, 2195, 2196, 2254, 2255, 2256 व 2197 कायम हुवे है। उक्त साबिका खसरा नं. 517 के 1/2 भाग में से 1/ 4 हिस्सा बक्षाराम पुत्र भोलाराम का माफिक खातेदारी हक हिस्सा निहित करता था। उक्त बक्षाराम द्वारा अपने 1/2 में से 1/4 हक हिस्से की भूमि दिनांक 1.7.2003 को ही जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अपीलांट मांगूराम पुत्र प्रहलादराम को बेचान कर दी थी। इस प्रकार दिनांक 1.7.2003 के पश्चात् उक्त खसरा नं. 517 में बक्षाराम का कोई हक हिस्सा निहित नहीं करता था। बल्कि बक्षाराम का जो भी हक हिस्सा माफिक जमाबंदी निहित करता था वो हिस्सा अपीलांट में विक्रय पत्र दिनांक 1.7.2003 के जरिए निहित हो गया था।

खातेदार बक्षाराम द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि अपीलांट को विक्रय कर देने के पश्चात् बिना हक अधिकार के एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेड़ता के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते पुनः खसरा नं. 517 में अपने 1/4 हक हिस्से की भूमि का एक फर्जी कूटरचित विक्रय पत्र दिनांक 20.5.2016 को रेस्पो. सं. 13 के हक में अवैध व विधि विरूद्ध ढंग से निष्पादित व पंजीबद्ध करवा दिया जो विक्रय पत्र बिना हक अधिकार के किया गया होने से प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है एवं ऐसे अवैध व शून्य विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण सं. 1809 रेस्पो. सं. 17 द्वारा स्वीकृत किया गया है वह पूर्णतया अवैध व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

म्युटेशन जैर अपील तस्दीक किए जाने से पूर्व किसी भी खातेदार/पक्षकार को नोटिस नहीं दिया, न ही किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया, न ही अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की जांच की एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत कर दिया, जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट सं. 11 द्वारा अवैध एवं विधि विरूद्ध ढंग से अपने हक हिस्से की भूमि का जो विक्रय पत्र रेस्पो. सं. 13 के हक में दिनांक 20.5.2016 को किया गया। उसके आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही करने अथवा नामान्तरकरण स्वीकृत करने का प्रथम 45 दिन तक केवल ग्राम पंचायत को ही विधिक अधिकार था। तहसीलदार,मेड़ता उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने के लिये विधिक रूप से सक्षम नहीं थे फिर भी रेस्पो. सं. 17 ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण जैर अपील संख्या 1809 स्वीकृति दिनांक 6.6.2016 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

विद्वान वकील श्री भंवरलाल चौधरी ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में आराजी खेत खसरा नम्बर 2194,2195,2196,2197,2254,2255,2256 की भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी में भंवरू, पाबु,बक्षा,चन्द्रा पिता भोला की खातेदार की होने से इस आराजी में बक्षा पुत्र भोला का 1/4

कलक्टर नागौर

हिस्सा बनता हैं। चन्द्रा पुत्र भोला द्वारा अपना हिस्सा रामस्वरूप पुत्र रतनाराम को विकय कर दिया तथा उसका नाम जमाबंदी में दर्ज हैं। खातेदार बक्षा पुत्र भोला द्वारा अपने सम्पूर्ण खातेदारी हक जरिऐ रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 20.05.20216 को मुझ केता हाथी पुत्र जगनाथ को विकय कर दिये तथा इस भूमि का कब्जा मुझे सुपुर्द कर दिया। इस विकय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मेड़ता द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1809 मेरे पक्ष में स्वीकृत किया हैं। उक्त बेचाननामा में वर्णित भूमि विकीत भूमि का कब्जा भी केता को करवा दिये जाने का उल्लेख है। बेचाननामा के आधार पर नामान्ताकरण स्वीकृत नहीं करने के संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय का ऐसा कोई आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा उक्त पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर एवं जिसमें विकीत भूमि का कब्जा केता को करवा दिये जाने का उल्लेख हो ऐसे नामान्तरकरण को स्वीकृत करने हेतु अपीलान्ट को नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। नामान्तकरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है, जिससे खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है। अपीलान्ट के अनुसार यदि उक्त पंजीबद्ध बेचाननामा गलत अथवा विधि विरूद्ध निष्पादित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट उक्त बेचाननामा के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा को ऐसे पंजीबद्ध बेचाननामा की वैधता आदि तय करने के संबंध में कोई अधिकार नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में RRT 2014-15(Supp.) पेज 467, RRT 2012(1) पेज 374 में उद्वत नजीरों का हवाला देते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की हैं। जब तक रजिस्टर्ड विकय पत्र अस्तित्व में हैं,भूमि के केता के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में उप पर्जीयक मेड़ता द्वारा दिनांक 20.05.2016 को पंजीबद्ध बैचाननामा खातेदारी हक के अनुसार बक्षा पुत्र भोलाराम द्वारा उनकी खातेदारी भूमि का बेचान श्री हाथी पुत्र जगनाथ के पक्ष में निस्पादित किया गया है। उक्त बेचाननामा में वर्णित भूमि विकीत भूमि का कब्जा भी केता को करवा दिये जाने का उल्लेख है। बेचाननामा के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत नहीं करने के संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय का ऐसा कोई आदेश भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मेड़ता द्वारा उक्त पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर नामान्तकरण जैर अपील स्वीकृत किया है,जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा को ऐसे पंजीबद्ध बेचाननामा की वैधता आदि तय करने के संबंध में कोई अधिकार नहीं होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील अपीलांट ने पुनः बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 13 हाथीराम द्वारा अपने अधिकारों के लिए पेश किया गया दावा सिविल न्यायालय में खारिज हो गया तथा उसकी अपील होने पर माननीय सेशन न्यायालय में उनकी अपील खारिज हो गई थी। हाथीराम को इस बात की पूरी जानकारी थी की यह अपील अपीलांट की कय सुदा भूमि के संबंध में हैं,फिर भी उन्होने यह फर्जी विकय पत्र तैयार करवाया तथा इस विकय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया यह नामान्तरकरण आदेश भी विधि विरूद्ध हैं,इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.06.2016 निरस्त किया जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ने जबाब में यह बताया कि सिविल न्यायालय में दावा मेरिट पर खारिज नहीं हुआ हैं। केवल आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्र पर वादकारण प्रकट

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

नहीं होना मानते हुए खारिज किया गया हैं। इसलिए इससे रेस्पोडेन्ट के कोई हक समाप्त नहीं होते हैं। हमने भूमि जरिऐ रजिस्टर्ड विकय पत्र प्राप्त की हैं एवं उसी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार किया हैं,इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त ग्राम मौकलपुर के नामान्तरकरण संख्या 1809 का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 7 में मोती,हाथी,निम्बा,सुवा पि0जगनाथ कौम माली भंवरा,पाबु,बक्षा पिता भोला कौम माली सा0 ढाणी रामस्वरूप पुत्र रतनाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार का अंकन हैं। कॉलम संख्या 9 में मोती,हाथी,निम्बा,सुवा पि0 जगनाथ कौम माली भंवरा,पाबु पि0 भोला,हाथी पुत्र जगनाथ कौम माली सा0 ढाणी रामस्वरूप पुत्र रतनाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज किया हैं। इस नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में बेचान,जरिये रजि0 बेचान दिनांक 20.05.2016 पु0सं0 I जि0सं0810 पृ0सं065 कम संख्या 2016003538 के अनुसार नामा0 भरकर पेश हैं की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की गई हैं। भू0अ0 निरीक्षक,मोकलपुर ने अपनी टिप्पणी दिनांक 06.06.16 में जमाबंदी व बेचाननामा से मिलान किया अंकन सही हैं,अंकित किया हैं। तहसीलदार(भू0अ0),मेड़ता द्वारा इस नामान्तरकरण पर स्वीकृत आदेश दिनांक 06.06.16 को पारित किया हैं। बेचाननामा दिनांक 20.05.2016 का अवलोकन किया गया। उक्त बेचाननामा द्वारा बक्षा पुत्र भोलाराम,जाति–माली निवासी–मालियों की ढाणी मोकलपुर द्वारा केता श्री हाथी पुत्र श्री जगनाथ जाति–माली,निवासी–मालियों की ढाणी मोकलपुर के पक्ष में मौजा राजस्व ग्राम मोकलपुर की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 2194 रका 0.16 हैक्टेयर किस्म भूमि गै0मु0 रास्ता,खसरा नम्बर 2195 रकबा 0.24 हैक्टयर,खसरा नम्बर 2196 रकबा 0.23 हैक्टयर,खसरा नम्बर 2197 रकबा 0.13 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 2254 रकबा 0.17 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 2255 रकबा 0.24 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 2256 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म भूमि कमशः बारानी–2 कुल रकबा 2.17 हैक्टेयर में से 1/2 हक हिस्सा में से 1/4 हिस्सा के खातेदारी हक का अर्थात विकेता के सम्पूर्ण खातेदारी हक का बेचान केता के पक्ष में किया गया हैं। इस बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या1809 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ हैं।

हस्तगत प्रकरण में मुख्य प्रश्न यह हैं कि बेचाननामा दिनांक 20.05.2016 के आधार पर भरा गया यह नामान्तरकरण संख्या 1809 विधिपूर्वक हैं अथवा नहीं? इस बिन्दू के सम्बन्ध में सबसे पहले अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत विकय पत्र प्रति दिनांक 01.07.2003 जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 336 में पृष्ठ संख्या 170 के कम संख्या 1092 पर पंजिबद्व किया गया हैं का अवलोकन किया गया। यह विकय पत्र बक्षाराम पुत्र भोलाराम कौम माली निवासी–मौकाला द्वारा बहक श्री मांगुराम पुत्र प्रहलादराम कौम जाट निवासी–मौकाला के पक्ष निष्पादित किया हैं कि मौजा मौकाला की सरहद में मेरी खातेदारी का काश्त व कब्जासुद बंट का खेत खसरा नम्बर 517 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा बा.3 प्लश के 1/2 भाग में से 1/4 भाग आगूणा–दिखणादा भाग आया हुआ हैं। जिसको अर्थात इस आराजी में से मेरे सम्पूर्ण खातेदारी हक को मैने आज दिन आपसे 12311/–रूपये नकदी प्राप्त कर आपको बेचान कर दिया है।''पत्रावली में प्रस्तुत मिला क्षेत्रफल ग्राम मौकलपुर के अनुसार खसरा नम्बर 517 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2194 रका 0.16 हैक्टेयर किस्म भूमि गै0मु0 रास्ता,खसरा नम्र 2195 रकबा 0.24 हैक्टयर,खसरा नम्बर 2196 रकबा 0.23 हैक्टयर,खसरा नम्बर 2197 रकबा 0.13 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 2254 रकबा 0.17 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 2255 रकबा 0.24 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 2256 रकबा 1.00 हैक्टेयर बने हैं।

प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि बेचाननामा दिनांक 01.07.2003 से विकेता बक्षाराम पुत्र भोलाराम द्वारा प्रश्नगत भूमि में से अपने सम्पूर्ण हक हिस्सा अपीलांट मागूराम पुत्र प्रहलादराम को विकय किया है तथा यह विकय पत्र वर्तमान में प्रभावी हैं। चूंकि बक्षाराम पुत्र भोलाराम द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण में दर्ज भूमि का विकय अपीलांट को किया जा चुका था तथा अब उन्हीं

कलक्टर नागौर

खसरान की भूमि का पुनः विक्रय हाथी पुत्र जगन्नाथ को किये जाने का अधिकार उन्हें नहीं था,तो फिर बिना अधिकार के इस प्रकार के विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया नामान्तरकरण संख्या 1809 प्रारम्भ से शून्य था तथा इस नामान्तरकरण पर तहसीलदार,मेड़ता द्वारा दिया गया आदेश भी विधि विरुद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के समय अपीलांट को सुना भी नहीं गया है। पत्रावली में प्रस्तुत न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) मेड़ता के दीवानी मूल प्रकरण संख्या 68/2004 (69/2003) के निर्णय 19 जुलाई,2010 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2003 की जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 13 को थी तथा उक्त विक्रय पत्र निरस्त हेतु उन्होंने यह सिविल वाद भी पेश किया था,उसके बावजूद उन्होंने पुनः विक्रय पत्र दिनांक 20.05.2016 अपने पक्ष में करवाया तथा उस पत्र के आधार पर यह नामान्तरकरण दर्ज करवाया गया है।

इस प्रकरण में विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा माननीय न्यायालय की उपरोक्त नजीरों को पेश करते हुवे यह तर्क दिया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया नामान्तरकरण विधि अनुरूप है तथा यह भी कथन किया कि जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है,उसे वैध माना जायेगा एवं उसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत आदेश भी वैध माना जायेगा।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 13 के उक्त कथनों के संबंध में हमारा अभिमत यह है कि अपीलांट के पक्ष में बक्षाराम पुत्र भोलाराम द्वारा निष्पादित किया गया विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2003 भी वैध है, क्योंकि उक्त विक्रय पत्र को किसी न्यायालय द्वारा शून्य किये जाने का कोई दस्तावेज रेस्पोंडेन्ट द्वारा पेश नहीं किया गया है। इसलिए जब तक विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2003 को सक्षम न्यायालय से शून्य या निरस्त नहीं किया जाता है,तब तक इसे कानूनी रूप से प्रभावी ही माना जावेगा। इस प्रकार जब विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2003 से बक्षाराम पुत्र भोलाराम द्वारा प्रश्नगत भूमि के अपने सम्पूर्ण खातेदारी हक का विक्रय पूर्व में किया जा चुका था एवं इस विक्रय पत्र की जानकारी रेस्पोंडेन्ट हाथीराम को होते हुवे भी उन्होंने पुनः बेचाननामा अपने नाम दिनांक 20.05.2016 पंजीयबद्ध करवाया है तथा पूर्व में विक्रय सुदा भूमि के सम्बन्ध में बाद के विक्रय–पत्र दिनांक 20.05.2016 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1809 में तहसीलदार,मेड़ता द्वारा जो आदेश पारित किया गया वह आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरुद्ध है तथा इस नामान्तरकरण को दर्ज करते समय तथा आदेश पारित करते समय पूर्ण जाँच नहीं की गई एवं प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम मोकलपुर के नामान्तरकरण संख्या 1809 पर तहसीलदार,मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, मेड़ता को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षों को साक्ष्य,सबूत पेश करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुवे उनके द्वारा पेश साक्ष्य,सबूत एवं दस्तावेजों का पूर्ण विवेचन अपने निर्णय में अंकित करते हुवे नये सिरे से उक्त नामान्तरकरण पर आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर
नागौर

कलक्टर नागौर

नागौर (राजस्थान)